लोक–सुनवाई का वृत

मे0 राजेश्वर सिंह, प्रो0–श्री राजेश्वर सिंह, पिता–श्री धरीछन सिंह, ग्राम+पो0–भाथा, थाना–मकेर, जिला–सारण द्वारा गंडक नदी स्थित ''10–कालीघाट दरिहारा सरला बालू घाट–03'', मौजा–दरिहारा चतुर्भुज, प्रखंड–दरियापुर, जिला–सारण में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 28.08.2026 को अपराह्न 02:00 बजे, प्रखंड सभागार, दरियापुर, जिला–सारण** में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/3614/2026, दिनांक 11.05.2026 के आलोक में श्री शिव कुमार पण्डित, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, सारण, छपरा की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– ''हिन्दुस्तान'' एवं ''दैनिक जागरण'' के माध्यम से दिनांक **22.07.2026** को प्रकाशित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फरपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार राय ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा 10–कालीघाट दरिहारा सरला बालू घाट–03 बालू घाट, मौजा–दरिहारा चतुर्भुज, प्रखंड–दरियापुर, जिला–सारण में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री राजेश्वर सिंह को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या– 03 में प्रतिवर्ष

2,02,500 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1.84 करोड़ (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 08 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 3 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही परिवहन किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र

कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देता खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।

10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री संजय कुमार, ग्राम–बेलहर, सारण के द्वारा परियोजना क्षेत्र एवं आस पास कितने पेड़ लगाये जायेंगे एवं कितनी दूरी पर और कहाँ कहाँ लगाये जायेंगे के बारे में पूछा गया।	यह प्रस्तावित परियोजना है। परियोजना स्थल के दोनों तरफ एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पर पेड़ लगाये जायेंगे। ग्रामीणों के मांग के अनुसार भी पेड़ लगाये जायेंगे।
2.	श्री ब्रजेश्वर कुमार अविनाशी, प्रसादी, सारण के द्वारा सागवान एवं महोगनी का पेड़ लगाये जाने के बारे में पुछा गया।	परियोजना स्थल पर पर्यावरण अनुकूल बबूल, नीम इत्यादि एवं स्थानीय प्रजाती के वृक्ष लगाये जायेंगे।
3.	श्री मेघनाथ राय, बेलहर, सारण के द्वारा रोजगार के बारे में पुछा गया।	यह प्रस्तावित परियोजना है। परियोजना के दौरान 30 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अन्य अवसर सृजित होंगे।
4.	श्री राजकुमार, दिघवारा, सारण के द्वारा खनन कब से शुरू होगा के बारे में पुछा गया।	परियोजना शुरू होने से पहले EC, CTE, CTO प्राप्त करने के बाद ही 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने की संभावना है।

लोक–सुनवाई के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि आमजनों/स्थानीय निवासियों के द्वारा जो समस्यायें उठाई गयीं हैं, इन समस्याओं का निदान खनन विभाग के नियम व प्रावधान में ही निहित है। संवेदक को निदेश दिया गया कि खनन विभागीय प्रावधान के निमित व सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये खनन कार्य करेंगे। सुनवाई में उपस्थित संवेदक श्री राजेश्वर सिंह के द्वारा सभी शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

31-8-2026
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद्,
मुजफ्फरपुर

31.8.20
अपर समाहर्ता,
विभागीय जाँच,
सारण, छपरा

उपस्थिति सूचि

मे0 राजेश्वर सिंह, प्रो0–श्री राजेश्वर सिंह, पिता–श्री धरीछन सिंह, ग्राम+पो0–भाथा, थाना–मकेर, जिला–सारण द्वारा गंडक नदी स्थित "10–कालीघाट दरिहारा सरला बालू घाट–03", मौजा–दरिहारा चतुर्भुज, प्रखंड–दरियापुर, जिला–सारण में बालू उत्खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान–प्रखंड सभागार, दरियापुर, जिला–सारण, दिनांक 28.08.2026 समय–02:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Sheo Kumar Pandit	ADM (D.E), Saran.	[signature] 28/8/26.
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer B.S.P.C Board Muzaffarpur	[signature] 28-8-2026
3.	Sarwesh Kr. Sambhav	Asstt. Director, Distt. Mining Office, Saran	[signature] 28/08/2026
4.	Anish Kumar	BSPCB Patna	[signature] 28/8/2026
5.	Praveen Kumar Roy	[illegible]	[signature] 28/08/26
6.	अमित सिंह	अकबरपुर	अमित सिंह 28-8-26
7.	Rajeshwar Singh	Bhatha, Maker, Saran	Rajeshwar Singh
8.	Santosh Kumar	Belahar Darihara,	[signature]
9.	[illegible]	दरिहारा	[signature]
10	अमीर राम	दरिहारा	अमीर राम
11	दिलीप राम	दरिहारा	दिलीप राम
12	ब्रजेश कुमार अधिकारी	[illegible]	ब्रजेश कुमार अधिकारी
13	Lal Prakash Yadav	[illegible]	Lal Prakash Yadav
14	मनोज कुमार	दरिहारा	मनोज कुमार
15	मुकेश राय	रहिमपुर	मुकेश राय

16	संजीत कुमार	दउमिराद	संजीत कुमार
17	शंकर राय	मानपुरा	शंकर राय
18	प्रेमकिशोर राय	बेलहर	प्रेमकिशोर राय
19	प्रधान राय	बिसहई	प्रधान राय
20	पप्पू कुमार	सलीनपुर	पप्पू कुमार
21	धर्मेन्द्र राय	" "	धर्मेन्द्र राय
22	अशोक राय	"	अशोक राय
23	विनोद कु० यादव	मानपुरा	विनोद कु० यादव
24	भुषण प्रसाद राय	महेश छपरा	भुषण प्रसाद राय
25	शत्रुघ्न राय	रघड़ हाता	शत्रुघ्न राय
26	कृष्णा राय	मनपुरा	कृष्णा राय
27	संजय राय	मानपुरा	संजय राय
28	मन्टू कुमार राय	हाजीपुर	मन्टू कुमार राय
29	Raj Kumar	Saidpur Digwara	Kumar
30	Santosh Kr	Balnaul	S.K
31	[illegible]	Balu	[illegible]
32	Banti	इदिलपुर	Banti Kumar
33	Brajesh Kumar	Rukunbedha	Brajesh Kumar
34	Vishwajeet Kumar	Bhatha (Maker)	Vishwajeet Kumar
35	Yogendra Ray	Saman chak	Yogendra Ray
36	संजीत कु० सिंह	जलालपुर	संजीत कुमार सिंह

37	सुरेश राय	मनपुरा	सुरेश राय
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	Satish Rajan	Nayagaon.	[illegible]
40	Ajit Kumar	Rajapur	[illegible]
41	मिथलेश R	धरहरा	मिथलेश R
42	Rohit Roy	हरीपारा	Rohit Roy
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			